बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग
अधिसूचना

सं0सं–09/आ0–05–13/2007(स्वा०)...../पटना,दिनांक–.....

निगरानी अन्वेषण ब्यूरो के पत्रांक–902/आप0शा0 दिनांक–20.07.2007 द्वारा सूचित किया गया है कि डा0 जमुना ठाकुर, तत्कालीन चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, हुसैनगंज, सिवान (सम्प्रति सेवानिवृत) दिनांक–06.07.2007 को 12.00 बजे अपराह्न में परिवादी श्री विनोद कुमार वर्मा, बी0एच0डब्लू0 स्वास्थ्य उपकेन्द्र, हुसैनगंज, सिवान की प्रतिनियुक्ति समाप्त नही करने हेतु 4,000/–रु० (चार हजार रूपये) रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, पटना द्वारा गठित धावादल के द्वारा गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में लेते हुए जेल भेजे गए।

2. उपर्युक्त आरोपों के लिए डा0 ठाकुर को विभागीय अधिसूचना सं0–771(9) दिनांक–27.08.2007 द्वारा काराधीन होने के फलस्वरूप कारा में संसीमित होने के तिथि (दिनांक–06.07.2007) से निलंबित किया गया। दिनांक–09.01.2008 को जमानत पर रिहा होने के बाद दिनांक–16.01.2008 को उनके द्वारा सिविल सर्जन, सिवान के समक्ष योगदान समर्पित किया गया। विभागीय अधिसूचना सं0–121(9) दिनांक–16.03.2009 द्वारा डा0 ठाकुर को दिनांक–16 01.2008 के प्रभाव से निलंबन मुक्त करते हुए सिविल सर्जन कार्यालय, सहरसा में पदस्थापित किया गया।

3. उक्त आरोप के लिए डा0 ठाकुर के विरूद्ध विभागीय सकल्प सं0–1106(9) दिनांक–16.9.2010 एवं संशोधित संकल्प सं0–74(9) दिनांक–12.01.2012 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गई। दिनांक–31.07.2011 को डा0 ठाकुर की सेवानिवृति के उपरांत विभागीय संकल्प सं0–298(9) दिनांक–28.02.2013 द्वारा उक्त विभागीय कार्यवाही को 'बिहार पेंशन नियमावली, 1950 के नियम–43 (बी) के अंतर्गत संपरिवर्तित किया गया। संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित जाँच–प्रतिवेदन (अधिगम) में निष्कर्ष दिया गया कि डा0 जमुना ठाकुर पर गठित आरोप को प्रमाणित माना जा सकता है। विभागीय पत्रांक–122(9) दिनांक–10.02.2014 के द्वारा डॉ० ठाकुर से द्वितीय कारण–पृच्छा की माँग की गयी।

4. प्रमाणित आरोप के आलोक में विभागीय अधिसूचना सं0–54(9) दिनांक–27.01.2015 द्वारा डा0 जमुना ठाकुर, तत्कालीन चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, हुसैनगंज, सिवान (सम्प्रति सेवानिवृत) का पेंशन एवं उपदान की सम्पूर्ण राशि स्थायी रूप से जब्त करने का शास्ति अधिरोपित एवं संसूचित की गयी।

5. डा० ठाकुर द्वारा उक्त अधिरोपित एवं संसूचित शास्ति के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय, पटना में समादेश याचिका सं0–5679/2015 दायर किया गया, जिसमें दिनांक–21.06.2019 को पारित आदेश में विभागीय अधिसूचना सं0–54(9) दिनांक–27.01.2015 द्वारा अधिरोपित एवं संसूचित शास्ति को खारिज कर दिया गया। जिसका कार्यकारी अंश निम्नवत् है:–

10. In view of the aforesaid procedural violations striking at the root of fairness in the proceedings conducted against the original petitioner, the order of punishment dated 27.1.2015 is unsustainable in law as being violative of the principles of natural justice, provisions contained in Bihar CCA Rules 2005 and also without assigning any reason in support of the decision.

11. The order of punishment dated 27.1.2015 is hereby quashed.

12. The writ petition is allowed. The petitioners as a result would be entitled to all consequential benefits.

27/07/2020

(15)

6. समादेश याचिका सं0–5679/2015 में दिनांक–21.06.2019 को पारित आदेश के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय, पटना में अपील वाद सं0–1449/2019 दायर किया गया, जिसमें दिनांक–21.08.2024 को पारित आदेश में अपील वाद को खारिज कर दिया गया। अपील वाद सं0–1449/2019 में दिनांक–21.08.2024 को पारित आदेश के विरूद्ध माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली में विशेष अनुमति याचिका डायरी सं0–60761/2025 दायर किया गया। उक्त में दिनांक–05.12.2025 को पारित आदेश का कार्यकारी अंश निम्नवत् हैः–

2. **After hearing learned cousel for the petitioners, we see no reason and ground to interfere with the impugned order passed by the high Court.**

3. **Accordingly, the Special Leave petition is dismissed.**

7. माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश के आलोक में समादेश याचिका सं0–5679/2015 में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिनांक–21.06.2019 को पारित आदेश के अनुपालन हेतु स्वर्गीय डा0 जमुना ठाकुर, तत्कालीन चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, हुसैनगंज, सिवान (संप्रति सेवानिवृत) के विरूद्ध विभागीय अधिसूचना सं0–54(9) दिनांक–27.01.2015 द्वारा अधिरोपित दण्ड यथा–उपदान सहित शत प्रतिशत पेंशन की राशि जब्त करने की शास्ति को निरस्त करते हुए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–11(3) के अधीन स्वर्गीय डा0 ठाकुर का निलंबन अवधि दिनांक–06.07.2007 से 15.01.2008 के लिए जीवन निर्वाह भता के अतिरिक्त अवशेष राशि एवं आलोच्य अवधि को कर्तव्य पर बितायी गयी अवधि के रूप में माने जाने का निर्णय ससूचित किया जाता है एवं सभी अनुमान्य लाभ देय होगा।

8. उपुर्यक्त में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह०/–

(उपेन्द्र राम)

सरकार के अवर सचिव।

Email

ज्ञापांकः–09/आ0–05–13/2007(स्वा0) 697(9) **/पटना, दिनांकः–** 07.07.26

प्रतिलिपिः–महालेखाकार (ले० एवं हक०) का कार्यालय, बिहार पटना/ प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग. बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–

सरकार के अवर सचिव।

प्रतिलिपिः–क्षेत्रीय उप-- निदेशक, स्वास्थ्य सेवायें, सारण प्रमंडल छपरा/सिविल सर्जन सिवान/सहरसा/कोषागार पदाधिकारी सिवान/सहरसा को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः–श्रीमती बिमला देवी, पत्नी स्व0 (डा0) जमुना ठाकुर, तत्कालीन चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, हुसैनगंज, सिवान (संप्रति सेवानिवृत) पता–ग्राम+पो०–बिशनपुर, थाना–कटरा, जिला–मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः–माननीय स्वास्थ्य मंत्री के आप्त सचिव/सचिव, स्वास्थ्य विभाग, के प्रधान आप्त सचिव/सभी पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना/सभी निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाऐं, बिहार पटना/प्रभारी प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–2, 3, 17 एवं 18A स्थापना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः–आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

07/07/2026

सरकार के अवर सचिव।